(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3780–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–10–16 पारित द्वारा तहसीलदार, उदयपुरा प्रकरण क्रमांक 03/अ–13/15–16.

किशोर उर्फ बृजकिशोर आत्मज श्रीलाल
निवासी ग्राम विलगवां
तहसील उदयपुरा जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1– विक्रम सिंह आत्मज अमरसिंह
2– श्रीलाल पटेल आत्मज झिरीलाल पटेल
3– मेघराज पटेल आत्मज श्रीलाल पटेल
निवासीगण ग्राम विलगवां
तहसील उदयपुरा जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री प्रेम सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिनेश सिंह चौहान, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, उदयपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 विक्रम सिंह द्वारा तहसीलदार, उदयपुरा के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम विलगवां स्थित सर्वे कमांक 24/2/1/1/1 रकबा 0.869 हेक्टेयर भूमि उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है । अनावेदक कमांक 1 की भूमि से आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 एवं 3 की भूमि लगी हुई है । अनावेदक कमांक 1 को अपनी भूमि पर आने–जाने का रास्ता आवेदक एवं अनावेदक

कमांक 2 व 3 की भूमि एवं सरकारी भूमि से है, जिसे उनके द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ–13/15–16 दर्ज कर दिनांक 4–10–16 को रास्ता खुलवाये जाने का अन्तरिम आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा किस खसरा नम्बर की भूमि से रास्ता चाहा गया है, इसका कोई उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि पटवारी प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि अनावेदक कमांक 1 शासकीय गोहे से लगे रास्ते से सर्वे कमांक 50, 51 एवं 52 से अपनी भूमि पर आ–जा सकता है, जिस पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि से रास्ता दिये जाने के आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, फिर भी तहसीलदार द्वारा आवेदक की भूमि से बागड़ हटाकर रास्ता दिया जाता है तो जानवर से आवेदक की फसल को नुकसान होकर आर्थिक क्षति होगी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि यदि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो तो नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा स्थल निरीक्षण एवं पटवारी प्रतिवेदन के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा जिस रास्ते की मांग की गई है, वह रास्ता पूर्व से है और उक्त रास्ते का उपयोग उसके पूर्व भूमिस्वामी शिवचरण किरार करता रहा है तथा अनावेदक कमांक 1 भी 2014 से 2015 तक प्रश्नाधीन रास्ते का उपयोग करता चला रहा है तथा राजस्व अभिलेखों में भी रास्ता दर्ज है, जिसे बाद में आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया जाकर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक

1 के लिए कृषि कार्य हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम रूप से आदेश पारित कर रास्ता खुलवाया गया है, और प्रकरण में अभी तहसील न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 एवं 3 पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि स्थल निरीक्षण में सर्वे कमांक 50, 51, 52 से होकर आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में अनावेदक कमांक 1 के लिए पृथक से अन्तरिम रास्ता उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं था । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए अन्तिम आदेश पारित करें । यह आदेश अन्तिम आदेश पर बन्धनकारी नहीं होगा ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, उदयपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–16 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर